राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प.6(9)सा.प्र./3/79 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक /12 92

परिपत्र

विषय:- राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ एवं राजस्थान राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन से वर्दी का कपड़ा क्रय करने बाबत।

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.6(5)सा.प्र./3/83 दिनांक 23-1-85 सह-पठनीय आदेश क्रमांक प.6(1)सा.प्र./3/89 दिनांक 27-9-89 तथा 31-1-90 के तहत पूर्व में राज्य कर्मचारियों जिनको नियमानुसार वर्दी देय है की वर्दी हेतु कपड़ा राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ एवं राजस्थान राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन से क्रय किए जाने के आदेश प्रचलित थे, इसी क्रम में लिए गए निर्णयानुसार समसंख्यक आदेश दिनांक 21-1-92 द्वारा उक्त दो संस्थाओं के अतिरिक्त नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (एन.टी.सी.) से भी वर्दी का कपड़ा क्रय किया जा सकेगा के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि वित्त (सी.एस.पी.ओ.) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(127)वित्त/सी.एस.पी.ओ./91 दिनांक 10-2-92 के तहत वर्दी का कपड़ा राजस्थ राज्य बुनकर सहकारी संघ तथा राजस्थान हाथ करघा विकास निगम, जयपुर से अथवा संस्थाओं की शाखाओं से ही क्रय करने के निर्देश हैं।

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 10-2-92 के कारण कई विभागों द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि वर्दी के कपड़े हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 21-1-92 को जारी आदेश प्रभावी है अथवा वित्त विभाग का आदेश दिनांक 10-2-92। इस संबंध में उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्दी के कपड़े हेतु इस विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 21-1-92 ही मान्य एवं प्रभावी है।

(राम लुभाया)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
2. महालेखाकार राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, राज्यमंत्रीगण, उपमंत्रीगण, जयपुर
4. समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. उप शासन सचिव, वित्त (केन्द्रीय भण्डार क्रय संगठन) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक अ.शा.टी. समसंख्यक प.6(9)सा.प्र./3/79 पार्ट दि. 21-11-92 के संदर्भ में प्रेषित है कृपया एन.टी.सी. के वर्दी पूर्ति हेतु दरों के निर्धारण हेतु की गई कार्यवाही से अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें।
9. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राज. जयपुर।
10. प्रबंध संचालक, राज. राज्य बुनकर सहकारी संघ, जयपुर।
11. प्रबंध निदेशक, राज. राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन, जयपुर।
12. प्रबंध निदेशक, नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन, राज. जयपुर।
13. प.6(1)सा.प्र./3/89

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राज. विधान सभा, जयपुर 2. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर। 3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर। 4. रजिस्ट्रार, राज. सिविल सेवा अपील ट्रिब्यूनल, जयपुर 5. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर 6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।